25/2022/।/149839/2022-71-2099/431/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थल्मोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/972, दिनांक 07 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-100 /2021/।/91277/2021-71-2099/431/2021, दिनांक 24 अगस्त, 2021 द्वारा प्रथम किश्त तथा शासनादेश संख्या-140/2021/।/125996/2021-71-2099/431/2021, दिनांक 27.12.2021 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि कुल रू0 47.50 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 95,00,000/- के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 47.50 लाख (रूपया सैंतालीस लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
5. मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद से होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में विगत 03 वर्षों का विवरण विशेषकर आउटसोर्स आफ सर्विसेज के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण प्रश्नगत मद में आगामी किश्त के प्रस्ताव के साथ अवश्य उपलब्ध करायी जाय, जिससे आगामी किश्त की स्वीकृति पर विचार किया जा सके।
6. मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से कराये जाने वाले कार्यों/व्यय की मदों की प्राथमिकता निर्धारित करेंगे और सर्वप्रथम आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध मानव संसाधन के मानदेय/पारिश्रमिक की मदों हेतु धनराशि का आहरण करेंगे।
7. उक्त के पश्चात् व्यय की अन्य मदों में विद्युत, जलकर, भवन कर, औषधि, टेलीफोन आदि के व्यय जैसे महत्वपूर्ण मदों के लिए आहरण करेंगे।

4- धनराशि के आहरण हेतु बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर को प्राधिकृत किया जाता है।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-08-चिकित्सालयों और औषधालयों के प्रयोजनों हेतु अनुदान-0801-नेहरू इंस्टीटयूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च सीतापुर को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/3501-दस/2021-22 दिनांक 21 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. कोषाधिकारी, सीतापुर।
5. निदेशक/सचिव, नेहरू इंस्टीटयूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च, सीतापुर।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
7. वित्त ई-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।